संख्या- 9/2017/एस-3-251(1)/दस-2017-100(10)/2009

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:-ओरेकल ए0टी0एस0 लाइसेंस एवं रेड हैट सब्सक्रिप्शन के साफ्टवेयर के रिन्युवल के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3564/कम्प्यू0/150/मिशन मोड प्रोजक्ट-III(2)/को0 नि0/2016, दिनांक 20 फरवरी,2017 के संदर्भ में शासनादेश संख्या 3/2017/एस-3-251/दस-2017-100(10)/2009 दिनांक 22-03-2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 22-03-2017 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में यू0पी0डेस्को0, लखनऊ से ओरेकल ए0टी0एस0 लाइसेन्स के रिन्युवल के क्रय किये जाने हेतु धनराशि रूपये 3,30,84,231.00 (रूपये तीन करोड़ तीस लाख चौरासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) एवं निक्सी नई दिल्ली से रेड हैट सब्सक्रिप्शन के रिन्युवल को क्रय किये जाने हेतु रू0 21,54,971.00 (रूपये इक्कीस लाख चौवन हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) अर्थात कुल रूपया 3,52,39,202.00 (रूपये तीन करोड़ बावन लाख उन्तालीस हजार दो सौ दो मात्र) की स्वीकृति धनराशि को कोषागार से आहरित कर क्रमश: यू0पी0डेस्को0 एवं निक्सी नई दिल्ली को अग्रिम के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति वित्त(लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न शर्तो के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक तो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2- विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन निर्धारित तिथि तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

4- क्रय किये जाने वाले उपकराणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

5- विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

6- उक्त आदेश वित्त लेखा (अनुभाग) -1 द्वारा उनकी प्रदत्त अनापत्ति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 9/2017 /एस-3-251(2)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद, महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।